उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संं0 : 492–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/19–13–काविनी एवं वे0प्र0/09 (टी0सी0–।।।) दिनांक : 15 मई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

विषय :– अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नत हुए सहायक अभियन्ताओं के अवर अभियन्ता पदधारण अवधि में देय वेतन का वेतन निर्धारण केन्द्रीय लेखा कार्यालय के वेतन एवं लेखा अनुभाग स्तर से किये जाने के सम्बन्ध में।

विषयगत सन्दर्भ में वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार अवर अभियन्ता पद से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति की दशा में सम्बन्धित अभियन्ता की सेवा–पुस्तिका अन्य संगत अभिलेखों सहित केन्द्रीय लेखा कार्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ के वेतन एवं लेखा अनुभाग में व्यवस्थित करायी जाती है।

2. इस प्रकार सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के अवर अभियन्ता सेवाकाल (अराजपत्रित अवधि) के देय समयबद्ध वेतनमान, ए0सी0पी0 योजना में देय वित्तीय स्तरोन्नयन अथवा अन्य कोई देय लाभ पूर्वगामी तिथियों से स्वीकृत किये जाने पर, वेतन निर्धारण एवं भुगतान की कार्यवाही हेतु उनकी सेवा–पुस्तिका उनके अवर अभियन्ता कार्यकाल के अन्तिम इकाई को आवश्यक कार्यवाही हेतु सन्दर्भित की जाती है। इस प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब के अतिरिक्त सेवा पुस्तिका जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के आवागमन में उसके क्षतिग्रस्त होने अथवा खो जाने की सम्भावना बनी रहती है।

3. अस्तु उपरोक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित कार्यवाहियों में सुगमता के दृष्टिगत एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति पश्चात् अवर अभियन्ता कार्यकाल के देय समयबद्ध वेतनमान, ए0सी0पी0 योजना में देय वित्तीय स्तरोन्नयन अथवा अन्य अपेक्षित वित्तीय लाभों की स्वीकृति आदेश सक्षम स्तर से जारी होने पर उसके सापेक्ष वेतन का निर्धारण/वेतन का प्राधिकरण लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), शक्ति भवन के स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा। तद्नुसार तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित प्रकरणों में वेतन निर्धारण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

1. अवर अभियन्ता कार्यकाल अवधि के देय समयबद्ध वेतनमान, ए0सी0पी0 योजना में देय वित्तीय स्तरोन्नयन अथवा अन्य देय लाभ से सम्बन्धित स्वीकृति आदेश सक्षम स्तर से निर्गतोंपरान्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही हेतु लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. उपरोक्तानुसार देयों के स्वीकृति आदेश के सापेक्ष वेतन का निर्धारण लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्तर से किया जायेगा एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में करते हुए कार्यालय ज्ञाप की प्रति सम्बन्धित अभियन्ता की सेवा पुस्तिका में भी व्यवस्थित/चस्पा की जायेगी।
3. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) द्वारा वेतन निर्धारण से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप सम्बन्धित अभियन्ता अधिकारी को उसके वर्तमान तैनाती कार्यालय/इकाई को भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही

(क्रमशः...2)

हेतु पृष्ठांकित किया जायेगा, जहां से भुगतान की कार्यवाही हेतु बीजक निर्मित किया जायेगा एवं बीजक की एक प्रति बीजक संख्या एवं माह के अंकन सहित लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) द्वारा अवशेष बीजक संख्या एवं माह की सूचना का विवरण वेतन निर्धारण के सापेक्ष सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि कर उक्त की प्रति सम्बन्धित अभियन्ता की वैयक्तिक पत्रावली में व्यवस्थित करायी जायेगी।

5. उपरोक्त प्रक्रिया के व्यवहारिक कियान्वयन के सन्दर्भ में सेवा पुस्तिका को उपलब्ध कराये जाने अथवा उसके रख–रखाव के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार अन्य कोई अपेक्षित निर्देश, उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) के स्तर से जारी किये जायेंगें।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशासन)

सं०: 492 – (I) काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 2019 – तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल / पश्चिमॉचल / मध्यॉचल / दक्षिणॉचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा, एवं केस्को–कानपुर।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन), पूर्वान्चल / पश्चिमॉचल / मध्यॉचल / दक्षिणॉचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा, एवं केस्को–कानपुर।
3. अपर सचिव (प्रथम) / (द्वितीय) / (तृतीय), उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / मध्यॉचल / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा एवं केस्को– कानपुर।
6. संयुक्त सचिव (अ0प्र0–02), उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. अनु सचिव (स0प्र0–लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पा०का०लि०, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (का०वि०नी०)